कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ 123 दतिया/दिनांक : 7-1-2020

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,

माँ रतनगढ़ परियोजना

क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया (म.प्र.)

विषय :– माँ रतनगढ़ बहुउद्‌देशीय परियोजना जिला दतिया के निर्माण हेतु डूब में आ रही वन भूमि की मांग का प्रस्ताव का निरीक्षण करने बाबत। (FP/MP/IRRIG/40397/2019)

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 53 दिनांक 30.12.2019

––– :0: –––

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने दतिया जिले में प्रस्तावित माँ रतनगढ़ बहुउद्‌देशीय परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1248.821 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत प्रावधानों के तहत प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया है उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने की व्यवस्था करें, जिससे प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सके :–

(1) उक्त परियोजना में दतिया जिले की 950.681 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मांग प्रस्तावित की गई है, शासन नियमानुसार वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 950.681 हेक्टेयर गैर वन भूमि दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु आपके द्वारा भिण्ड जिले में प्रस्तावित 800.695 हेक्टेयर में से 412.214 हेक्टेयर वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण अभी तक नहीं हो सका है, यह जानकारी वनमंडलाधिकारी भिण्ड द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3780 दिनांक 03.12.2019 से उपलब्ध करवाई गई है। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करावें।

(2) दतिया जिले में ग्राम डोंगरपुर तहसील सेंवढ़ा की 57.020 हेक्टेयर गैर वन भूमि कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक/0014/अ–19/2019–20 दिनांक 06.12.2019 से हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित की गई है। उक्त पत्र में दर्शित सर्वे नम्बरों का कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान किया गया, जिसमें पाया गया कि, कलेक्टर जिला दतिया द्वारा ग्राम ड़ोंगरपुर तहसील सेंवढ़ा की 16.290 हेक्टेयर गैर वन भूमि पूर्व से अन्य परियोजना में इस विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। जिसमें से 2.616 हेक्टेयर भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है एवं शेष भूमि को वन भूमि घोषित करने की अधिसूचनायें वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी हैं। अतः उक्त आदेश में दर्शित खसरा नम्बरों का पुनः परीक्षण कर लें एवं उपयुक्त भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित करें।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ 67 दतिया/दिनांक :

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,

माँ रतनगढ़ परियोजना

क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया (म.प्र.)

विषय :– माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना जिला दतिया के निर्माण हेतु डूब में आ रही वन भूमि की मांग का प्रस्ताव का निरीक्षण करने बाबत।
(FP/MP/IRRIG/40397/2019)

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 53 दिनांक 30.12.2019

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के संलग्न प्राप्त प्रकरण में लेख है कि, आपके द्वारा माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत् दतिया जिले में प्रभावित होने वाली वन भूमि रकवा 950.681 हेक्टेयर एवं ग्वालियर जिले में प्रभावित होने वाली 298.140 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 1248.821 हेक्टेयर वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत प्रावधानों के तहत मांग अनुसार प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया है एवं हार्ड कॉपी सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

अतः आप प्रकरण में निम्नानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि जमा करावें :–

(1)	पंजीयन शुल्क	–	1000.00
(2)	प्रोसेसिंग शुल्क	–	5000.00
	कुल	–	**6000.00**

उपरोक्तानुसार राशि 6000.00 रुपये **राजस्व मद 0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) विविध प्राप्तियां** में जमा कर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ 68 दतिया/दिनांक : 3-1-2020

प्रतिलिपि :– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ग्वालियर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

दतिया / दिनांक 3-1-2020

क्रमांक / मा.चि. / 69

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
सेंवढ़ा

विषय :– माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना जिला दतिया के निर्माण हेतु डूब में आ रही वन भूमि की मांग का प्रस्ताव का निरीक्षण करने बाबत।
(FP/MP/IRRIG/40397/2019)

सन्दर्भ :– परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया का पत्र क्रमांक 53 दिनांक 30.12.2019

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति मय प्रस्ताव के संलग्न भेजते हुये लेख है कि प्रस्ताव में उल्लेखित माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु डूब में आ रही वन भूमि की मांग का प्रस्ताव दिया जाकर अनुमति चाही गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, आप प्रस्ताव अनुसार आपके परिक्षेत्र अन्तर्गत् स्थल के संबंध में आवेदक विभाग के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण कर निम्नानुसार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित स्थल को वन मानचित्र में अंकित करते हुये मय जीयो कॉर्डिनेट के उप वनमंडलाधिकारी दतिया के माध्यम से इस कार्यालय को भेजें :–

(1) प्रस्तावित कार्य में वन भूमि प्रभावित हो रही है, ~~अथवा नहीं, यदि वन भूमि प्रभावित हो रही है,~~ तो कक्ष क्रमांक एवं वनखण्ड का नाम बतावें।

(2) प्रस्ताव में माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु डूब में कितनी वन भूमि आ रही है। उसका आंकलन लम्बाई एवं चौड़ाई में किया जाकर माप सहित प्रस्तुत की जावे।

(3) उक्त कार्य में कितने वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं अथवा कितने वृक्षों को काटने की आवश्यकता होगी, गणना कर प्रजातिवार पत्रक संलग्न करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

दतिया / दिनांक 3-1-2020

क्रमांक / मा.चि. / 70

प्रतिलिपि :–

(1) उप वनमंडलाधिकारी दतिया की ओर प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप स्वयं मौके पर जाकर अपनी निगरानी में संयुक्त स्थल जांच कराकर प्रतिवेदन देवें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(2) परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया की ओर आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि, आप उपरोक्तानुसार संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी सेंवढ़ा से संपर्क कर संयुक्त स्थल निरीक्षण करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल दतिया (म.प्र.)

O/C